

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462023

दूरभाष 91-0755-2583850 फेक्स 2583651 ई-मेल dpmp@sancharnet.in

क्रमांक / स्था.4 / सी / अं.जि.स्थानां. / 06 / 2009-2010 / 759

भोपाल, दिनांक 5-6-2010

// आदेश //

निम्नांकित कर्मचारी का स्वेच्छा के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण समान सामार्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले में किया जाता है:-

क्रं.	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना एवं जिला	स्थानांतरित जिले का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती रजनी चौहान, भृत्य (UNIQUE CODE- AW1807)	शा.हाईस्कूल झुकेही, जिला सतना (DISE CODE- 23130266604)	बैतूल
2	श्री अंकित परमार,, भृत्य (UNIQUE CODE- BO7193)	शा. बालक माध्यमिक विद्यालय, पिपलिया मण्डी, जिला मन्दसौर (DISE CODE- 23190402615)	इन्दौर

2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारियों की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा । नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी ।

3/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी ।


4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं । पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये ।

5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांती परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे । यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये ।

6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे । साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा ।

निरंतर . . .


7/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना स्थानांतरित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए। पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ती उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में तत्काल उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।


आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क्र./स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./06/2009-2010/768
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 5-6-2010

1. निज सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर आपकी टीप क्र. 3386/मं./स्कूल शिक्षा/09, दिनांक 16.02.09 एवं 555, दिनांक 13.03.2010 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. निज सहायक, मा. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, (मंत्रालय) वल्लभ-भवन, भोपाल।
4. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, रीवा/भोपाल/इन्दौर/उज्जैन संभाग मध्यप्रदेश।
5. संयुक्त संचालक (समन्वय) स्थानीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-सतना/बैतूल/मंदसौर/इन्दौर, म.प्र.।
7. प्राचार्य, शा.हाईस्कूल झुकेही, जिला सतना।
8. प्रधानाध्यापक, शा. बालक माध्यमिक विद्यालय, पिपलिया मण्डी, जिला मन्दसौर।
9. ओ.एस.डी. स्थापना-4 (स्थानीय)
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
10. संबंधित श्रीमती रजनी चौहान, भृत्य शा.हाईस्कूल झुकेही, जिला सतना, म.प्र.।
11. श्री अंकित परमार, भृत्य शासकीय बालक माध्यमिक विद्यालय, पिपलिया मण्डी, जिला मन्दसौर, म.प्र.।
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462023

दूरभाष 91-0765-2583650 फेक्स 2583651 ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक/स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./09/2010/761

भोपाल, दिनांक 5-6-2010

// आदेश //

निम्नांकित कर्मचारी का स्वेच्छा के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण समान सामार्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले में किया जाता है:-

क्रं.	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना एवं जिला	स्थानांतरित जिले का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती गंगाबाई सोनवाने, भृत्य (UNIQUE CODE- BP2988)	शा.कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नीमच केन्ट, जिला-नीमच (DISE CODE- 2318077711)	बालाघाट

2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारियों की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा । नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी ।

3/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी ।

4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं । पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये ।

5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांती परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे । यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये ।

6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे । साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा ।

निरंतर . . .


7/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना स्थानांतरित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए। पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ती उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में तत्काल उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।


आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 5-6-2010

पृष्ठा.क्र./स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./09/2010/702
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निज सहायक, मा. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर आपकी टीप जावक क्रमांक 777, दिनांक 04.05.2010 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, (मंत्रालय) वल्लभ-भवन, भोपाल।
4. संभागोय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, जबलपुर/उज्जैन संभाग मध्यप्रदेश।
5. संयुक्त संचालक (समन्वय) स्थानीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-नीमच/बालाघाट, म.प्र.।
7. प्राचार्य, शा.कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नीमच केन्ट, जिला-नीमच, म.प्र.।
8. ओ.एस.डी. स्थापना-4 (स्थानीय)।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
9. संबंधित श्रीमती गंगाबाई सोनवाने, भृत्य शा.कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नीमच केन्ट, जिला-नीमच की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462023

दूरभाष 91-0755-2583650 फेक्स 2583651 ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक / स्था.4 / सी / अं.जि.स्थानां. / 08 / 2010 / 757

भोपाल, दिनांक 5-6-2010

// आदेश //

निम्नांकित कर्मचारी का स्वेच्छा के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण समान सामाथ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में किया जाता है:-

क्रं.	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना एवं जिला	स्थानांतरित कार्यालय का नाम
1	2	3	4
1	श्री समीर अहमद, भृत्य (UNIQUE CODE- AG1757)	शा.माध्यमिक विद्यालय गुधौरा, जिला-छतरपुर (DISE CODE-23090610003)	संभागीय कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण शहडोल संभाग शहडोल

- 2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारियों की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।
- 3/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
- 4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये।
- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांती परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे। यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।
- 6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।

निरंतर . . .


7/ स्थानान्तरित कर्मचारी की पदस्थापना स्थानान्तरित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए । पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ती उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में तत्काल उपस्थित होना होगा । कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी ।


आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश 

पृष्ठां.क्र./स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./08/2010/758
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 5-8-2010

1. निज सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर आपकी टीप क्र. 429/मं./स्कूल शिक्षा/2010 दिनांक 25.02.10 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
2. निज सहायक, मा. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, (मंत्रालय) वल्लभ-भवन, भोपाल ।
4. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, सागर/शहडोल संभाग मध्यप्रदेश ।
5. संयुक्त संचालक (समन्वय) स्थानीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-छतरपुर, म.प्र. ।
7. प्रधानाध्यापक, शा.माध्यमिक विद्यालय गुधौरा, जिला-छतरपुर ।
8. ओ.एस.डी. स्थापना-4 (स्थानीय)
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
9. संबंधित श्री समीर अहमद, भृत्य शा.मा.वि. गुधौरा, जिला-छतरपुर म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।


आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश 